



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
Rajasthan Staff Selection Board
Agriculture Campus, Durgapura, Jaipur, Rajasthan, 302018

विस्तृत विज्ञप्ति

क्रमांक: प.14(169)RSSB/अर्थना/स्कूल शिक्षा/कम्प्यूटर अनुदेशक/भर्ती/2025/ दिनांक :यथाहस्ताक्षर

विज्ञापन सं. 07/2026

वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक एवं बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक संयुक्त सीधी भर्ती-2026

संस्कृत शिक्षा विभाग के लिये राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम-2015 यथा संशोधित, तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिये राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 यथा संशोधित के अन्तर्गत वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के कुल 322 (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 288 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 34) एवं बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के कुल 3629 (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2936 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 693) पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निर्बन्धनों के अध्यधीन ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विभाग का नाम	भर्ती सेवा नियम/उपविधियाँ जिनके तहत पदों की भर्ती की जानी है	पद का नाम	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल पद
1.	माध्यमिक शिक्षा विभाग	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 यथा संशोधित	वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक	268	32	300
			बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक	2736	679	3415
2.	संस्कृत शिक्षा विभाग	राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम-2015 यथा संशोधित	वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक	20	02	22
			बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक	200	14	214
कुल पद				3224	727	3951

विशेष नोट :-

- अभ्यर्थी उक्त पदों पर चयन के बाद जिस विभाग में माध्यमिक शिक्षा विभाग अथवा संस्कृत शिक्षा विभाग में पदस्थापन चाहता है, उसे संबंधित विभाग की वरीयता/प्राथमिकता पदों के लिये आवेदन करते समय ही निर्धारित कॉलम में भरना अनिवार्य होगा। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को विभागों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता के क्रम (Merit Cum Priority) के आधार पर किया जावेगा। अतः अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में ध्यानपूर्वक विभागों की प्राथमिकता क्रम भरें, इसके बाद प्राथमिकता क्रम में संशोधन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा एवं उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत/असत्य सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार के क्रम में बोर्ड द्वारा कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

1. आवेदन प्रक्रिया :-बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form माध्यम से ही प्राप्त किये जाएंगे जिन्हें राज्य के अधिकृत/निर्धारित ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी **विस्तृत विज्ञापन** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को एस.एस.ओ पोर्टल <http://sso.rajasthan.gov.in> से Login करने के उपरान्त Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी Apply Now पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR (One Time Registration) का एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है, तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR (One Time Registration) टैब पर अपनी श्रेणी Unreserved (UR) अथवा Reserved (EWS/OBC-NC/MBC-NC/SC/ST/SAH) श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR (One Time Registration) के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य भरे हुए मिलेंगे। अतः अभ्यर्थी OTR (One Time Registration) प्रक्रिया को सावधानी से भरें। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO ID के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आवेदक को ऑनलाईन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिन्ह (visible body mark) भरना अनिवार्य है।

बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक योग्यता व भर्ती संबंधी अन्य दस्तावेज एवं प्रविष्टियाँ भरने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। इस संबंध में दिशा निर्देश विज्ञप्ति एवं सहायता दस्तावेज बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किये गए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इन दस्तावेजों का भली प्रकार अध्ययन करने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन भरें।

OTR डेशबोर्ड के ODV सेक्शन में अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता का चुनाव सावधानीपूर्वक करें। भर्ती विज्ञप्ति में निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संबंधी दस्तावेज अभ्यर्थियों द्वारा डॉक्यूमेंट डिटेल्स सेक्शन में अपलोड किए जाएंगे। ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लेंगे कि उसकी शैक्षणिक योग्यता, भर्ती विज्ञप्ति नियमों के अनुरूप हैं, तदुपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन भरें। स्वयं की शैक्षणिक योग्यता व दस्तावेजों की, भर्ती विज्ञप्ति नियमों के अनुरूपता एवं सत्यता के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। यदि किसी भी स्तर पर प्रदान की गई जानकारी गलत, अपूर्ण या भ्रामक पायी जाती है, तो उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। ऐसी स्थिति में भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त किया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 एवं भर्ती/विज्ञप्ति नियमों के अनुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित रहेंगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाएँ अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होगी। ई-मेल संचालक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में यदि कोई गलत प्रविष्टि की जाती है तो उसे अभ्यर्थी की ही गलती माना जाएगा। आवेदन पत्र को Final Submit करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जायेगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिन्ट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए। अभ्यर्थी को एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है।

- I. अभ्यर्थी एकबारीय पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction के लम्बित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- II. अभ्यर्थी अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं स्वयं की ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसे नहीं बदलें। ज्ञातव्य रहे कि महत्वपूर्ण सूचनाएँ आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है। आवेदक अपनी स्वयं की SSO ID से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें। अन्य दूसरी SSO ID से भरा गया आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।
- III. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (Application ID) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन का Submit होना नहीं माना जायेगा।
- IV. अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- V. आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail-ITCELL.RSSB@RAJASTHAN.GOV.IN तथा RECRUITMENTHELPPDESK@RAJASTHAN.GOV.IN पर सम्पर्क करें। ई-मित्र हेल्पलाइन नम्बर 0141-2922241/2922238 एवं ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाइन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें।

- VI. अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी परीक्षा संबंधी समस्याओं/शिकायतों को ईमेल द्वारा pg.rssb@rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन भिजवा सकते हैं।
- VII. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
- VIII. समस्त सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से प्रकाशित/सूचित की जायेगी। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें। अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जावेगा।

2. एकबारीय पंजीयन शुल्क:—कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एकबारीय पंजीयन प्रणाली (One Time Registration) ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाईन जमा करावें।

- (क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु —**रूपये 600/-**
- (ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु —**रूपये 400/-**
- (ग) समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु —**रूपये 400/-**

नोट:—

- 1-राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, को इस भर्ती प्रक्रिया के लिये सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा।
- 2-पूर्व में एकबारीय पंजीयन शुल्क (OTR) जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दुबारा शुल्क देय नहीं होगा।
- 3-कार्मिक विभाग (क-2) द्वारा परिपत्र क्रमांक-प.8(3)कार्मिक/क-2/2023-04443 दिनांक 09.05.2025 के क्रम में अभ्यर्थियों के लिये निर्देश जारी किये गये हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर या राजस्थान राज्य की अन्य किसी भर्ती एजेन्सी द्वारा एक वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल-31 मार्च) में आयोजित किन्हीं दो परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा अर्थात् एकबारीय पंजीयन (OTR) सुविधा को प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी प्रथम बार प्रतिबन्धित होने पर पेनल्टी शुल्क 750/- रुपये देकर अपना एकबारीय पंजीयन शुल्क (OTR) पुनः चालू कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी पुनः उसी वित्तीय वर्ष में दो और भर्ती-परीक्षाओं में अनुपस्थित हो जाता है तो उसके ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा तथा वापस सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब पेनल्टी शुल्क दोगुना यानि 1500/- रुपये नहीं चुका देता। अतः उक्तानुसार बोर्ड द्वारा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

(1) गैर-अनुसूचित क्षेत्र

[illegible]

(ख) बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक:-

[illegible]

(2) अनुसूचित क्षेत्र:-

(क) वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक:-

स. क्र.	जिले का नाम	कुल पद	बैकलॉग					शेष पद	अनारक्षित वर्ग कुल 50 प्रतिशत							SC वर्ग कुल 5 प्रतिशत							ST वर्ग कुल 45 प्रतिशत							नि:शक्तजन कुल 4 प्रतिशत							नि:शक्तजन पूर्व भर्ती के अग्रणीत पदों की संख्या																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			ST						सामान्य	महिला (30 प्रतिशत)	योग	महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत			भूतपूर्व सैनिक कुल 12.5 प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक (पूर्व भर्ती के अग्रणीत)	सामान्य	महिला (30 प्रतिशत)	योग	महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत			भूतपूर्व सैनिक कुल 12.5 प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक (पूर्व भर्ती के अग्रणीत)	सामान्य	महिला (30 प्रतिशत)	योग	महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत			भूतपूर्व सैनिक कुल 12.5 प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक (पूर्व भर्ती के अग्रणीत)	सामान्य	महिला (30 प्रतिशत)	योग	(अ) दृष्टि बाधित (1 %)	(ब) श्रवण बाधित (1 %)	(स) संरक्षित पाल्सी, कुछ रोग, बौनापन, एसिड पीडित, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित समस्त चलन- नि:शक्ता (1 %)	(द) ऑटिज्म, बौद्धिक निशक्ता, लर्निंग निशक्ता एवं मानसिक रूपता (इ) बहु दिव्यांगता (एम डी) (1 %)	उत्कृष्ट खिलाड़ी 2 प्रतिशत	(अ) दृष्टि बाधित (1 %)	(ब) श्रवण बाधित (1 %)	(स) संरक्षित पाल्सी, कुछ रोग, बौनापन, एसिड पीडित, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित समस्त चलन- नि:शक्ता (1 %)	(द) ऑटिज्म, बौद्धिक निशक्ता, लर्निंग निशक्ता एवं मानसिक रूपता (इ) बहु दिव्यांगता (एम डी) (1 %)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			Total	Gen	Gen. female	widow	divorcee					सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)						सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)						सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)															सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	सामान्य महिला

(ख) बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक:-

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल पद	बैकलॉग		शेष पद	अनारक्षित वर्ग								SC वर्ग कुल 05 प्रतिशत								ST वर्ग कुल 45 प्रतिशत					नि:शक्तजन कुल 4 प्रतिशत										उत्कृष्ट खिलाड़ी 2 प्रतिशत																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			अनुसूचित जाति \$C)	अनुसूचित जनजाति \$T)		सामान्य	महिला (30 प्रतिशत)	योग	महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत			भूतपूर्व सैनिक (पूर्व भर्ती के अग्रनीत पद)	सामान्य	महिला (30 प्रतिशत)	योग	महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत			भूतपूर्व सैनिक (पूर्व भर्ती के अग्रनीत पद)	सामान्य	महिला (30 प्रतिशत)	योग	महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत			भूतपूर्व सैनिक (पूर्व भर्ती के अग्रनीत पद)	सामान्य	महिला (30 प्रतिशत)	योग	महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक (पूर्व भर्ती के अग्रनीत पद)	(अ) दृष्टि बाधित (%)	(अ) दृष्टि बाधित (पूर्व भर्ती के अग्रनीत पद)	(ब) श्रवण बाधित (%)	(ब) श्रवण बाधित (पूर्व भर्ती के अग्रनीत पद)	(स) संरक्षित पाल्सी, कुछ रोग, बौनापन, एसिड पीडित, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित समस्त चलन- नि:शक्ता (%)		(स) संरक्षित पाल्सी, कुछ रोग, बौनापन, एसिड पीडित, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित समस्त चलन- नि:शक्ता (पूर्व भर्ती के अग्रनीत पद)	(द) ऑटिज्म, बौद्धिक नि:शक्ता, लर्निंग नि:शक्ता एवं मानसिक रुग्ता (इ) बहु दिव्यांगता (एम डी) (%)	(द) ऑटिज्म, बौद्धिक नि:शक्ता, लर्निंग नि:शक्ता एवं मानसिक रुग्ता (इ) बहु दिव्यांगता (एम डी) (पूर्व भर्त के अग्रनीत पद)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
									सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)					भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)					परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला																विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक 12.5 प्रतिशत	सामान्य महिला	विधवा (08 प्रतिशत)

संस्कृत शिक्षा विभाग अतर्गत वरिष्ठ एवं बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है:-

(1) गैर-अनुसूचित क्षेत्र

(क) वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक:-

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				बारों जिले की सहरिया आदिम जाति			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
20	07	02	01	—	03	—	—	—	02	—	—	—	03	01	—	—	—	—	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				भूतपूर्व सैनिक						उत्कृष्ट खिलाड़ी		
B, LV	D&HH	OA, BA, OL, BL, OAL, CP, LC, DW & AAV, SD/SI		SSD (M), SLD, MI & MD		GEN	SC	ST	OBC		MBC	EWS
01	—	—		—		01	-	-	-	-	-	-

(ख) बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक:-

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				बारों जिले की सहरिया आदिम जाति			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
200	51	15	05	01	23	07	02	—	17	05	02	—	30	09	03	—	07	02	01	—	14	05	01	—	—	—	—	—

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन					भूतपूर्व सैनिक					उत्कृष्ट खिलाड़ी		
B,L V	D&HH	OA,BA, OL, BL, OAL, CP,LC, DW & AAV, SD/SI		SSD (M), SLD, MI & MD		GEN	SC	ST	OBC			MBC
02	02	02		02		09	04	03	05	01	02	04

(2) अनुसूचित क्षेत्र –

(क) वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक:-

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
02	02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)							
दिव्यांगजन				भूतपूर्व सैनिक			उत्कृष्ट खिलाड़ी
B,LV	D&HH	OA,BA, OL, BL, OAL, CP,LC, DW & AAV, SD/SI	SSD (M), SLD, MI & MD	GEN	SC	ST	
01	—	—	—	—	—	—	—

(ख) बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक:-

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
14	06	02	—	—	—	—	—	—	05	01	—	—

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)							
दिव्यांगजन				भूतपूर्व सैनिक			उत्कृष्ट खिलाड़ी
B,L V	D&HH	OA,BA, OL, BL, OAL, CP,LC, DW & AAV, SD/SI	SSD (M), SLD, MI & MD	GEN	SC	ST	
01	—	—	—	01	—	—	—

नोट:-

- गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है, तो अभ्यर्थी पात्रता जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय अपनी प्राथमिकता प्रस्तुत करनी होगी कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर अपना चयन चाहता है।
नोट:- अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र की प्राथमिकता देनी होगी।
- अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में उल्लेख नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
- महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण **क्षैतिज (Horizontal)** होगा।
- राजस्थान सरकार, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर के बैठक दिनांक 22.11.2024 के कार्यवाही विवरण क्रमांक: निसंशि/मेरिट/विशे.योग्यजन/2019 एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के बैठक दिनांक 20.12.2021 के कार्यवाही विवरण क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1/12102/सीधी भर्ती/दिव्यांगजन आरक्षण/2021 के अनुसार वरिष्ठ एवं बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के पद हेतु दिव्यांगजन श्रेणी के आरक्षित पद दर्शाये गये हैं।
- विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में परीक्षा परिणाम से पूर्व तक कमी या बढ़ोतरी करने का अधिकार राज्य सरकार/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास सुरक्षित है तथा इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
- विभाग से प्राप्त अर्थना के अनुसार उक्त पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण जारी किया गया है।

विशेष सूचना:-

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
- कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को अधिकतम पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रेषित किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रेषित की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। परन्तु इस प्रावधान के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्तियां पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
- महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण:- किसी वर्ग (अनारक्षित पद (सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु महिला अभ्यर्थियों हेतु पति एवं पिता के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.01.2016 के अनुसार महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह-विछिन्न महिला) श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि विज्ञापित पदों के लिये

- पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो विधवा श्रेणी के लिये आरक्षित पदों को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह-विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध ना होने की दशा में उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिये रिक्तियाँ आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिये अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध विवाह संपन्न होने की दशा में पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्री की न्यायालय द्वारा जारी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्री इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा।
6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीवानी अपील संख्या 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.विशेष अपील (रिट्स) संख्या 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अर्थात् अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे सार्वजनिक नियोजन में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। अन्य राज्य की किसी भी श्रेणी की महिला का राजस्थान में विवाह होने के उपरान्त राजस्थान का मूल निवास एवं EWS का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के लिए पात्र माना जावेगा।
 7. **अति पिछड़ा वर्ग के लिये** राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2 (12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।
 8. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये** राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
 9. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु **आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य छूट का लाभ नहीं उठाया है।**
 10. राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, को इस भर्ती प्रक्रिया के लिये सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
 11. **बारां जिले की सहरिया आदिम जाति** के अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91 पार्ट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार बारां जिले में सहरिया जाति के लिये निर्धारित आरक्षण का लाभ देय होगा, अन्यथा सामान्य श्रेणी में माना जायेगा।
 12. **भूतपूर्व सैनिकों हेतु :-**
 - (क) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।
 - (ख) भूतपूर्व सैनिक :-
 - (1) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" श्रेणी से कम श्रेणी का नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति संबंधी दस्तावेज में दर्शाया गया हो।
 - (2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे पश्चातवर्ती नियोजन के लिये अर्हक बना दे।
 - **भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेसन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है।** कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार (क्षैतिज) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेंगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियाँ व्यपगत हो जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 में वर्णित प्रावधान भी लागू होंगे।
 - कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 5(18) डीओपी/ए-11/84 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए हैं, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा।
 - 'कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा।'

- “यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतम हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।”;
- भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार आवेदन के समय, कम्प्यूटर अर्हता सुसंगत सेवा नियमों में जहां कहीं भी विहित हो, अनिवार्य नहीं होगी। नियुक्त व्यक्ति पद ग्रहण करने से पूर्व सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित कोई कम्प्यूटर अर्हता रखेगा। इसके अलावा कम्प्यूटर साक्षरता, सुसंगत सेवा नियमों में जहां कहीं भी विहित हो, से संबंधित शैक्षणिक अर्हताओं के अतिरिक्त, भारत सरकार की किसी रक्षा संस्था से न्यूनतम तीन माह का प्रमाणपत्र भी कम्प्यूटर अर्हता के रूप में स्वीकृत होगा।
- यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जावेगा और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपगत (Lapse) हो जायेगी।
- किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रास्थिति (Status) खो देगा और वह केवल लोकसेवक (Civil Employee) के रूप में ही माना जाएगा। अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जावेगा, परन्तु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के संबंध में, जहां नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं समझा जायेगा परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिये आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारम्भिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिसके लिये उसने आवेदन किया है, के लिये आवेदन की तारीख वार ब्यूरो के बारे में स्वतः घोषणा पत्र/वचन बंधपत्र देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तक/संविदा/अस्थाई/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा।

13. **उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु:-** उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्तर्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान :-कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार “उत्कृष्ट खिलाड़ी” से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जिन्होंने :-

1. सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

क.सं. 1	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था 2	टूर्नामेंट / चैंपियनशिप का नाम 3
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्व कप/ विश्व चैंपियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिसंघ	एशियन चैंपियनशिप
7	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स/ चैंपियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स/ चैंपियनशिप

या

2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

5. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप/पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।”

नोट:- कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में वही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अन्तर्गत खेल प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये हों। यदि किसी अभ्यर्थी ने जान-बूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अंकित की है, तो बोर्ड ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरे खेल प्रमाण पत्र की सूचना को ही स्वीकार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य खेल प्रमाण पत्र/मिसमेच खेल प्रमाण की सूचना को मान्य नहीं किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अपात्र/ डिबार किया जायेगा।

14. दिव्यांगजन (विशेष योग्यजन) के लिये :-

- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 6(2)b अन्तर्गत संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के बैठक दिनांक 19.05.2026 के कार्यवाही विवरण क्रमांक: निसंशि/मेरिट/विशे.योग्यजन/2019 दिनांक 19.05.2026 एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर के बैठक दिनांक 19.05.2026 के कार्यवाही विवरण क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1/12102/सीधी भर्ती/दिव्यांगजन आरक्षण/2026 दिनांक 19.05.2026 में लिये गये निर्णय के अनुसार निम्नलिखित श्रेणी के दिव्यांगजन श्रेणियों को ही आरक्षण का लाभ देय होगा :-

क्र.सं.	समूह	उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगता	देय आरक्षण प्रतिशत
1.	(अ) दृष्टि बाधित	अ) B/LV (नेत्रहीन, अल्प दृष्टि)	01 प्रतिशत
2.	(ब) श्रवण बाधित।	ब) D (बहरा), HH (ऊंचा सुनने वाला),	01 प्रतिशत
3.	(स) सेरेबल पाल्सी, कृष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीडित, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित चलन निःशक्तता।	स) OA (एक हाथ), BA (दोनों हाथ) OL (एक पैर), BL (दोनों पैर), OAL (एक हाथ और एक पैर), CP (प्रमस्तिष्किय पक्षाघात), LC (कुष्ठ उपचारित), DW (बौनापन), AAV (एसिड हमला पीडित), एसडी/एसआई (स्पाईनल डिफोर्मिटी/स्पाईनल इंजरी)	01 प्रतिशत
4.	(द) ऑटिज्म, बौद्धिक निःशक्तता, लर्निंग निःशक्तता एवं मानसिक रुग्णता	द) ASD (M) (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिऑर्डर अत्यल्प), SLD (विशिष्ट अधिगम अक्षमता), MI (मानसिक रुग्णता,	01 प्रतिशत
5.	(इ) बहु दिव्यांगता (MD)	उपरोक्त अ से द मिलाकर	

- दिव्यांगजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

- iii. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जाएगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः दिव्यांगजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जाएगा। यदि उस वर्ष में भी कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- iv. दिव्यांगजन आवेदक Online application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें। दिव्यांगजन प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरे दिव्यांग प्रमाण पत्र की सूचना को ही स्वीकार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य दिव्यांग प्रमाण पत्र/मिसमेच दिव्यांग प्रमाण की सूचना को मान्य नहीं किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अपात्र/डिबार किया जायेगा।
- v. ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी दिव्यांगजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र (Permanent Disability Certificate) में दिव्यांगजन का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।
- vi. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021 दिनांक 14.10.2021 के नियम 6(B) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में “यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत का शिथिलीकरण दिव्यांगजन को दिया जायेगा।”
- vii. कार्मिक (क-2) विभाग के राजकाज क्रमांक 17019339 दिनांक 06.08.2025 के अनुसार दिव्यांग प्रमाण पत्र के संबंध में नई गाईडलाईन जारी की गई है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के अधीक्षकों को दिव्यांगता प्रमाण जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। अतः उक्त भर्ती में दिव्यांगजनों हेतु पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन में UDId कार्ड को वैध प्रमाण (Valid Proof) के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में UDId Registration/card का विवरण भरना होगा।

4. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी हैं और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं। कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है।
2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
3. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तों) नियम-2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वहां पर उपरोक्त विभाग के नियमों के प्रावधान लागू होंगे।
4. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 19(2) 80-एल-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के क्रम में कार्मिक(क-2) विभाग ने अपने परिपत्र क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 (बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विखण्डित (Rescinds) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित (Redefined) किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये ही अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट:-अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनों की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्कीम संबंधी प्रावधान गैर-अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।

5. **वेतनमान:-**राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतन आयोग के अनुसार बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-8 एवं वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक का वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-10 निर्धारित है। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा।

अन्य शर्तें :-

- 1) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परीक्षाधीन प्रशिक्षु (Trainee) को परीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जावे।
- 2) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा अवधि के लिये की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा। परीक्षा अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त करने और प्रशिक्षण पश्चात् परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा सत्यनिष्ठा अप्रश्नप्रद होने व स्थायीकरण के लिये उपयुक्त होने

का समाधान हो जाने के उपरान्त ही परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे व स्थाईकरण का पात्र होगा।

6. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:—

(1) वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के पद हेतु :-

As Per Rajasthan Educational (State and Subordinate) Service (Amendment) Rules, 2021 in Schedule-II a new "Group D" namely "Computer wing" and Rajasthan Sanskrit Education State and Subordinate Service (School Branch)(Amendment) Rules, 2015.

Master in Engineering (M.E.)/ Master in Technology (M.Tech.) in Computer Science (CS)/ Information Technology (IT)/ Electronics & Communications Engineering (ECE)/ Electrical Engineering (EE)/ Electrical & Electronics Engineering (EEE)/ Electronics & Telecommunication Engineering (ETE)/ Electronics & Instrumentation Engineering (EIE)

OR

M.Sc. in Computer Science (CS)/ Information Technology (IT)

OR

Master in Computer Application (MCA)/'B' Level/'C' Level

OR

Any equivalent or higher qualification recognised by the Government

देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।

(2) बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के पद हेतु :-

As Per Rajasthan Educational (State and Subordinate) Service (Amendment) Rules, 2021 in Schedule-II a new "Group D" namely "Computer wing" and Rajasthan Sanskrit Education State and Subordinate Service (School Branch))(Amendment) Rules, 2015.

Graduate and 'A' LEVEL / PGDCA (Minimum one year)

OR

Bachelor in Engineering (B.E.) / Bachelor in Technology (B.Tech.) in Computer Science (CS) / Information Technology (IT) / Electronics & Communications Engineering (ECE) / Electrical Engineering (EE) / Electrical & Electronics Engineering (EEE) / Electronic Instrumentation & Control (EIC) / Telecommunications & Instrumentation (TIE)

OR

B.Sc. in Computer Science (CS)/Information Technology (IT)

OR

Bachelor in Computer Application (BCA) from a University established by the law in India

OR

Any equivalent or higher qualification recognised by the Government

देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।

जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन वह/उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा,—

1. मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है,
2. साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।
3. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो।

नोट:—

01. इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा की तिथि तक अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा परीक्षा की तिथि के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।
02. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनके पास 15 वर्ष की सैन्य सेवा के उपरान्त स्नातक के समतुल्य जारी प्रमाण पत्र हैं, ऐसे भूतपूर्व सैनिक ऑनलाईन आवेदन भरते समय OTR डैशबोर्ड पर Document Details Section में शैक्षणिक योग्यता के सीनियर सैकण्डरी/स्नातक के कॉलम में रोल नम्बर के स्थान पर 'Not Applicable' एवं परिणाम में Grade का चयन कर 'N' Grade अंकित कर आवेदन कर सकते हैं तथा प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से अपलोड करें।

अन्य योग्यताएँ :-

(1) **स्वास्थ्य:-** उक्त पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पद के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।

(2) **चरित्र :-** सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सद्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहाँ उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन-पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हो।

7. राष्ट्रीयता :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या

(ड.) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व तंगानिया तथा जंजीबार), जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

नोट:-परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख),(ग),(घ),(ड.) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. आयु:-विभागीय नियमों में उल्लेखित आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात् आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना के प्रावधान अनुसार आवेदक दिनांक 01.01.2027 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। विभागीय नियमों के अनुसार "जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जावेगी।"

स्पष्टीकरण:-बोर्ड द्वारा पूर्व में माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिये वरिष्ठ एवं बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती-2022 में आयु की गणना 01.01.2023 को की गई थी, इसके बाद भर्ती नहीं होने के कारण केवल माध्यमिक शिक्षा विभाग के पदों हेतु समस्त आवेदकों को अब अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी। संस्कृत शिक्षा विभाग के उक्त पदों पर प्रथम बार भर्ती होने के कारण संस्कृत शिक्षा विभाग के उक्त पदों पर अतिरिक्त छूट देय नहीं होगी।

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी:-

1. अधिकतम आयु सीमा में -

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान की मूल निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

2. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

3. उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी।

4. एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपर्युक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।

5. राजस्थान राज्य, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत कर्मचारी जो अधिष्ठायी (Substantive) हैसियत से कार्य कर रहे हैं की ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

6. रिलीज्ड इमरजेन्सी कमीशन ऑफिसर/सोर्ट सर्विस कमीशन सेवा में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे, तो सेवा से रिहा होने के बाद विभाग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हो, पात्र समझा जावेगा।

7. विधवाओं और विवाह-विछिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो।

स्पष्टीकरण:- विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह-विछिन्न महिला के मामले में विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे विभाग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हो और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें 2 अवसर दिये जावेंगे।
9. 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
10. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन शिशिलकरण के पश्चात् यदि अनज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो उपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है यहां 55 वर्ष की अधिकतम उपरी आयु सीमा लागू होगी। स्पष्टीकरण कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.08.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का प्रावधानों के होतु हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिशिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को मिलेगा।
11. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.10.2021 के अनुसार राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018 के उपनियम 6-A के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर बैचमार्क निःशक्तजन अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु में 5 वर्ष की छूट देय होगी एवं यह छूट उनके वर्ग के अनुसार उपरी आयु में देय छूट के अतिरिक्त होगी।

नोट:-

1. आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये संस्कृत शिक्षा विभाग के लिये राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम-2015 यथा संशोधित, तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिये राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 यथा संशोधित एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।
2. उपरोक्त पैरा 8 के प्रावधान संख्या 1 से 10 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान “Non Cumulative” है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त पैरा 1 से 10 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

9. पेंशन:-नये नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी।

10. विवाह पंजीयन:-शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

11. पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि:-

- (क) यदि आवेदक द्वारा OTR (One Time Registration) का एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैंकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा कराया जा सकता है।
- (ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 25.05.2026 से दिनांक 23.06.2026 रात्रि 23.59 बजे तक SSO Portal पर Login कर Recruitment Portal पर भरे जा सकते हैं (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।

12. परीक्षा आयोजन :-बोर्ड द्वारा वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के उक्त पदों पर दिनांक 22.08.2026 एवं बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा 23.08.2026 को कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)/टेबलेट आधारित परीक्षा (TBT)/ऑफलाईन (ओ.एम.आर.) आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। परीक्षा की दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो उसमें सामान्यीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

13. प्रवेश पत्र:-समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा ऑनलाईन प्रवेश-पत्र SSO Login पर एवं Recruitment Portal के लिंक <https://recruitment.rajasthan.gov.in/rectlogingetadmitcard> पर जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश-पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश-पत्र SSO login एवं Recruitment Portal के लिंक <https://recruitment.rajasthan.gov.in/rectlogingetadmitcard> से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक एवं SSO ID ध्यान में रखें।

14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में :-सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त हैं, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए। आवेदक को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के समय नियोक्ता विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत करनी होगी।

15. नियुक्ति की अयोग्यताएँ :-

- (1) किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं।
- (2) किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- (3) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।
- (4) कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु
 - i. दो से अधिक संतान वाला अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोत्तरी नहीं होती है।
 - ii. जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक ही संतान है किन्तु पश्चात्पूर्व किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।
 - iii. किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।
 - iv. कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिये निरहित नहीं है, उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।
 - v. इस उप-नियम के उपबंध किसी विधवा और विच्छिन्न-विवाह महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।
- (5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या काट-छांट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई रूप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred) कर दिया जायेगा।

16. आवेदन कैसे करें:-

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट- राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

कृपया ध्यान दें:-

1. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र Final Submit करने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ-साथ, सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
3. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् (संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद) वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।
4. किसी भी प्रतियोगी/पात्रता परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते।
5. बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की

अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

6. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ बोर्ड द्वारा सही मान ली गई हैं। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में पृथक से विज्ञप्ति जारी कर आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित कर दिया जावेगा। उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते मय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक या अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
7. **OTR में लाइव फोटोग्राफ Capture करने के लिए दिशा-निर्देश:-**

ऑनलाईन आवेदन में आवेदक की लाइव फोटो, हस्ताक्षर (हिन्दी व अंग्रेजी) एवं अंगूठा निशानी ओटीआर से स्वतः FETCH होगी।

लाइव फोटो अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-

- फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
 - आवेदक को **OTR में लाइव फोटो Capture** किया जाना आवश्यक है। अभ्यर्थी का लाइव फोटो ओटीआर से ही आवेदन पत्र पर **FETCH** होगी।
 - लाइव फोटो के लिये 5 सेकण्ड के Timer के पश्चात अभ्यर्थी अपनी पलक दो-तीन बार झपकाएं, यदि आपकी फोटो बन्द आँखों के साथ कैप्चर हुई है तो फोटो पुनः कैप्चर करें।
 - फोटो कैप्चर किये जाते समय अभ्यर्थी सीधा कैमरे की तरफ देखें। यदि आप चश्मे का इस्तमाल करते हैं तो अपना फोटो चश्मे के साथ ही लें परन्तु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चश्मे पर रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर ना हो।
 - अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि लाइव फोटो साफ एवं पर्याप्त रोशनीमय पृष्ठभूमि (**Enlightened Background**) के साथ ली गयी है एवं धुन्धली अथवा अन्धकारमय (**Blurred/Dark**) नहीं है।
 - जब तक फोटो स्पष्ट ना हो अभ्यर्थी बारम्बार फोटो कैप्चर कर सकते हैं परन्तु एक बार **Final Submit** किये जाने के उपरान्त अवसर देय नहीं होगा।
 - फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
 - फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
 - फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
 - आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
 - परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
 - आवेदक द्वारा **OTR में लाइव फोटो** को फोटो एडिटर एप से किसी भी प्रकार की छेड़खानी, फोटो की जालसाजी इत्यादि करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थितता किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी। ऐसे प्रकरणों में अभ्यर्थी एवं फोटो से छेड़छाड़ करने वाले व लिप्त पाये जाने वाले अभियुक्त के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
8. **ओटीआर में स्केन्ड हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी (Thumb Impression) अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-**
- आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौड़ाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
 - हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी मान्य नहीं होगा।
 - आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी करने के बाद इमेज को स्केन कर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात् अलग-अलग यथास्थान अपलोड करें।
 - परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर ऑनलाईन आवेदन पत्र में अपलोडेड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार को किसी भी स्तर पर अयोग्य ठहराया जा सकता है।
 - केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
 - जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 × 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 × 160 होना चाहिए।
 - फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
 - हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
 - मोबाईल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 - स्केन्ड हस्ताक्षर अपलोड करने के पश्चात् अपने बायें हाथ की अंगूठा निशानी यथास्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि बायें हाथ का अंगूठा नहीं हो तो दायें हाथ की अंगूठा निशानी अपलोड की जानी है।

विशेष टिप्पणी:-

1. परीक्षा के पश्चात् संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी (Answer Key) बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड की जाकर आपत्तियां आमंत्रित की जायेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिये परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से शुल्क 100/- रु जमा कराना अनिवार्य है। इसकी प्रक्रिया आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बताई जायेगी।
2. परीक्षा देने के लिये आते समय अभ्यर्थी रेल/बस की छतों एवं पायदानों पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैंड/रेलवे स्टेशन और रास्तों में तोड़फोड़, लूटपाट, हुडदंग, पत्थरबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाए रखें।
3. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्पाही का पारदर्शी बालपेन, 2.5x2.5 से.मी. का एक फोटो (01 माह से अधिक पुराना न हो), एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, ई-प्रवेश पत्र ही कक्ष में ले जा सकते हैं। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं होगी।
4. जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित आवेदक के खिलाफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम रेग्यूलेशन, 2016 एवं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम, 2022 यथा संशोधित के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्मिलित है।
5. सभी परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड का ड्रेस कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाईट <http://rssb.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है।
6. परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

17. ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया:- बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अपना ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट कर दिए जाने के बाद अभ्यर्थी को निम्न प्रविष्टियों में संशोधन की अनुमति नहीं होगी।

- 1 अभ्यर्थी का नाम
- 2 पिता का नाम
- 3 जन्म तिथि
- 4 स्वयं का फोटोग्राफ व हस्तलिपि नमूना, अंगूठा का निशान एवं हस्ताक्षर

बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 14.07.2023 में अंकित किया गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी को अपने OTR में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि एवं लिंग का परिवर्तन करना है तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार/जनआधार में परिवर्तन करवाना होगा तत्पश्चात् OTR स्क्रीन पर फेच का बटन दबाना होगा जिससे आधार/जनआधार में दर्ज नवीन डाटा उसके OTR में स्वतः ही आ जायेगा। अभ्यर्थी को अपने OTR में आरक्षण श्रेणी, दिव्यांगजन श्रेणी एवं मूल निवास में वांछित संशोधन करने की अनुमति दी गयी है। अभ्यर्थी संशोधन करने के उपरान्त ही ऑनलाइन आवेदन भरें।

ऑनलाइन आवेदनों में संशोधन किए जाने की अनुमत अवधि में, एडिटिंग प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन आवेदन में, OTR डेशबोर्ड से आई हुई प्रविष्टियों के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा एडिट हेतु अनुमत की गयी अन्य प्रविष्टियां अभ्यर्थी स्वयं संशोधित कर सकेगा।

Checklist देखने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

अभ्यर्थी SSO पोर्टल पर लॉगिन कर Recruitment Portal का चयन करें और “My Recruitment” सेक्शन के अंतर्गत “Checklist” टैब पर क्लिक करें। उक्त भर्ती के सामने उपलब्ध “View Checklist” विकल्प पर क्लिक करके वे अपने आवेदित आवेदन पत्र में विवरण की चेकलिस्ट देख सकते हैं। अभ्यर्थी को अपने आवेदित आवेदन पत्र की किसी सूचना में कोई त्रुटि रह गई हो तो वह बोर्ड द्वारा अनुमत एडिट अवधि में अनुमत प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन कर लें।

ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

1. आवेदन पत्र में जो जानकारी OTR से प्राप्त (fetch) हुई है, उसमें संशोधन करने के लिए सबसे पहले OTR प्रोफाइल में सुधार करना आवश्यक है।

2. OTR में जानकारी अपडेट करने के बाद आवेदन पत्र को एडिट करें, ताकि अपडेटेड जानकारी आवेदन पत्र में प्रदर्शित हो सके, जो जानकारी आवेदन पत्र में OTR से fetched नहीं होती है, उसे सीधे आवेदन पत्र में एडिट किया जा सकता है। OTR में संशोधन हेतु, निम्न लिंक पर उपलब्ध सहायता दस्तावेज (Help Document) का अवलोकन करें:- <https://recruitment.rajasthan.gov.in/frequentlyaskedquestions>

ऑनलाइन आवेदन Final Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्वयं का फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान व हस्तलिपि नमूना को परिवर्तित नहीं कर पाएगा। शेष सूचनाओं में वह संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:-

- i. यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की अवधि के दौरान अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन बन्द होने की दिनांक के पश्चात् 03 दिवस की अवधि में भी आवेदक को अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अनुमति होगी। आवेदक निर्धारित शुल्क 300/- रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। इस अवधि में ऑनलाइन आवेदन

में अभ्यर्थी अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्वयं का फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान व हस्तलिपि नमूना को परिवर्तित नहीं कर पाएगा। शेष सभी प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी।

- ii. यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वह किसी कारणवश त्रुटि संशोधन के प्रथम अवसर में अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात् 07 दिवस हेतु प्रदान किया जाएगा। इस अवधि में ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्वयं का फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान व हस्तलिपि नमूना तथा शैक्षणिक योग्यता के अलावा शेष प्रविष्टियों में संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु इस अवधि की दिनांक एवं समय की सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी। उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित संशोधन शुल्क का भुगतान कर संशोधन कर सकेगा।
- iii. इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
- iv. **विधवा श्रेणी के अभ्यर्थी:**—ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं त्रुटि सुधार संशोधन अवधि के पश्चात् कोई अभ्यर्थी आकस्मिक रूप से विधवा हो जाती है तो उसे परीक्षा के परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा, जिसके लिए उसे विधवा हेतु आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण-पत्र, लिंक दस्तावेज (यथा राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) मय 300/- रुपये शुल्क भुगतान करने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक चरण होने पर प्रथम चरण की परीक्षा उपरान्त अभ्यर्थी विधवा होती है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ आने वाले परिणाम (Prospective Effect) से ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर रिव्यू/पुनरावलोकन नहीं किया जायेगा।

18. ऑनलाईन आवेदन प्रत्याहरित करने की प्रक्रिया:—

बोर्ड द्वारा उक्त विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अर्थात् संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं होने के उपरान्त भी अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन भर दिया है अथवा किसी भी कारण से परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहता है तो ऐसे आवेदकों को परीक्षा आयोजन से लगभग 01 माह पूर्व ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) करने हेतु 03 दिवस के लिए अवसर प्रदान किया जा सकता है। इस हेतु सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी। आवेदक SSO Portal पर Login कर Recruitment Portal का चयन कर My Recruitment Section के अन्तर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध Withdraw Button पर क्लिक कर अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) कर सकेंगे। विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा पात्रता जांच उपरान्त विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

19. विशेष योग्यजन/दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक/क्षतिपूरक समय उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विशेष निर्देश:—

1. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन/विशेष योग्यजन श्रेणी भरे जाने तथा श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का चयन किये जाने का अभिप्राय यह नहीं है कि वह श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र/योग्य है। श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक है अन्यथा अभ्यर्थी को श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
2. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो स्वयं का श्रुतलेखक लाना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व दिव्यांगता का वांछित चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी एवं श्रुतलेखक का वचन-पत्र, श्रुतलेखक के फोटो पहचान पत्र व शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी।
3. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो बोर्ड/केन्द्राधीक्षक से श्रुतलेखक प्राप्त करना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व दिव्यांगता का वांछित चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी का वचन-पत्र केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा।
4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता) की दृष्टिबाधित (Blindness), लोकोमोटर डिसेबिलिटी (दोनों हाथों की निःशक्तता— Both Arms) एवं सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी वाले अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर, दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी एवं श्रुतलेखक का वचन-पत्र के आधार पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उक्त श्रेणियों के अलावा Section-2(r) के तहत परिभाषित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध Appendix-C), दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं श्रुतलेखक का वचन-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी और/या क्षतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा।
5. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) की श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों के साथ आयोग से सम्पर्क करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय देय नहीं होगा।
6. श्रुतलेखक किसी भी परीक्षा में एक बार ही बैठने हेतु अनुमत होगा। श्रुतलेखक के संबंध में विस्तृत निर्देशों एवं प्रमाण पत्रों का बोर्ड की वेबसाइट पर अवलोकन करें। वेबसाइट पर उपलब्ध श्रुतलेखक संबंधी इन निर्देशों को विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जायेगा।

20. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान :-

- i. कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.08.2024 द्वारा पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा की जावेगी। अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में समूचित निर्णय संबंधित विभाग द्वारा किया जावेगा।
- ii. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन/OTR में भरी गई शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया जावेगा। ऑनलाईन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य संस्था/विश्वविद्यालय से प्रदत्त डिग्री/डिप्लोमा को स्वीकार/मान्य नहीं किया जावेगा। अतः आवेदक सावधानीपूर्वक अपनी शैक्षणिक योग्यता ऑनलाईन आवेदन में भरें।
- iii. अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देय होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरान्त अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है।
- iv. आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
- v. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का लाभ तब ही देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ, प्रमाण-पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। अतः भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जावेगा।
कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.10.2022 के अनुसार उक्त परिपत्र के अन्त में निम्न परन्तुक जोड़ा गया है:-
“यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ-पत्र लिखा जावे कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।”
- vi. जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि:- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण-पत्र दिशा-निर्देश दिनांक 09.09.2015 के अनुसार :-
 - i. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि ओबीसी के लिये संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा परन्तु क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।
 - ii. क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार क्रिमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।
 - iii. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा।
- vii. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो, प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- viii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया आदिम जाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गों के लिये आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- ix. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ11() /आ.क.व/डीडीवीसी/सान्याअवि/19/28046 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ-पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जावेगा, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है।
- x. दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

- xi.** भूतपूर्व सैनिकों के पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक तक का सक्षम स्तर से जारी सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/एन ओ सी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।
- xii.** उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों हेतु सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र जो ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक तक का हो का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के पदों का लाभ देय होगा।
- xiii.** विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज/साक्ष्य जिसमें उसके पति का नाम अंकित हो यथा विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र पति के नाम से जारी मूल निवास/जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
- xiv.** परित्यक्ता/विवाह विच्छेद श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिक्री/आदेश प्रस्तुत करने पर ही इस श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।
- xv.** शासन के परिपत्र क्रमांक पं.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह-पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है अतः इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना वांछनीय है।
- xvi.** विवाहित महिलाओं के लिये संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है और परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- xvii.** अभ्यर्थी को अन्तिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य है।
- xviii.** अभ्यर्थी को चयन उपरान्त आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें आवेदक के विरुद्ध ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प(1)कार्मिक/क-2/2016 दिनांक 04.12.2019 के प्रावधानुसार अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण किया जायेगा।
- xix.** अभ्यर्थी को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र यथासमय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिये पूर्णतः उपयुक्त है।
- xx.** ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो, या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा/उक्त उपक्रमों में कार्यरत है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये। संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को पूर्व सेवा से त्याग-पत्र देकर नव-नियुक्ति के समय त्याग-पत्र स्वीकार करने सम्बन्धी आदेश प्रस्तुत करना होगा।
- xxi.** उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक तक के जारी होने अनिवार्य है, ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा।
- xxii.** आवेदको द्वारा ऑनलाईन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता जांच, परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन के समय की जायेगी, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये जाने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जायेगा, जानबूझ कर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

21. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:—आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) के प्रावधानों के तहत यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न-पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रुपये 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा षडयंत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर या द्रुप्रेरित करने पर न्यूनतम पाँच वर्ष के कारावास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है एवं न्यूनतम रुपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं। दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।

22. परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :-

Scheme and syllabus of competitive examination for the posts of Senior Computer Instructor:-

The examination shall carry 200 marks. There will be two papers. Paper-I shall be of 100 marks and paper-II shall be of 100 marks.

Paper -I

1. The question paper will carry maximum 100 marks.
2. Duration of question paper will be 2.00 hours.
3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
4. Paper shall include following subjects :-
 - (i) Art & Culture, History, Geography, General Science and Current Affairs of Rajasthan.
 - (ii) General Ability shall include following point :-
 - A. Logical Reasoning and Analytical Ability.
 - B. Decision Making and Problem Solving.
 - C. General Mental Ability.
 - D. Basic Numeracy - Numbers and their relations, orders of magnitude, etc. **(Class X level)**
 - E. Data Interpretation - Charts, Graphs, Tables, Data Sufficiency, etc. **(Class X level)**
5. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer **one third (1/3)** of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer out of multiple choices given for a question.

6. The Minimum qualifying marks shall be 40% Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Syllabus and Scope of Papers:- The Syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission/Board/Appointing Authority as the case may be, from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission/Board/Appointing Authority, as the case may be, deems fit.

Paper -II

1. The question paper will carry maximum 100 marks.
2. Duration of question paper will be 2.00 hours.
3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer **one third (1/3)** of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer out of multiple choices given for a question.

5. The Minimum qualifying marks shall be 40% Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
6. Paper shall include following subjects:-
 - (i) Pedagogy
 - (ii) **Mental Ability:** Decision making and Problem solving, Data Interpretation, Data Sufficiency, Logical Reasoning and Analytical Ability, Major developments in the field of Information Technology.
 - (iii) **Fundamentals of Computer:** Number system, arithmetic operations, introduction to various categories of computer language, functional details of Input and Output devices.
 - (iv) **Programming Fundamentals :** C, C++, Java, DotNet, Artificial Intelligence (AI), Machine learning, Python and Block Chain, programming, data types (Built in and user defined), Scope of variables, precedence of operators, control flow, functions, arrays pointers, structures and unions, enumerated data-types and file handling, command line arguments.
 - (v) **Object Oriented Programming using C++ and JAVA:** Objects and classes. Inheritance, polymorphism, event and exceptions handling, files and streams.

- (vi) **Data structures and Algorithms:** Abstract data types, Arrays as data structures, linked list v/s array for storage, stack and stack operations, queues, binary trees, binary search trees, graphs and their representations, sorting and searching, symbol table.
- (vii) **Algorithms:** Tree traversals, Branch and bound and greedy methods, complexity of algorithms.
- (viii) **Digital Logic Systems:** Boolean expressions, K-maps, TTL and CMOS logic families, combinational logic design using half/full adders, Sub tractors, and multiplexer, synchronous sequential system design
- (ix) **Computer Organization and Architecture:** Von-Neumann architecture of computers. Registers and micro operations, control logic, processor addressing and bus organization. Processor input/output and DMA. Memory organization and cache coherence.
- (x) **Operating Systems:** CPU scheduling, Deadlocks, Memory management, file systems, disk scheduling. Concept of Client server architecture in distributed environment and RPC. Process, threads and their synchronization.
 Real Time OS: clock synchronization and task scheduling.
 System initialization, booting and handling user accounts. Backup and restore, Bourne shell programming for Linux.
- (xi) **Database Management System:** E-R models, Relational algebra, calculus and databases, Integrity constraints, triggers, normalization, and indexing. Transaction processing, concurrency control and Relational Database Management System (RDBMS).
- (xii) **Software Engineering:** Phases of System Development Life Cycle. System modeling. Software requirement specifications and DFDs. Introduction to software testing, software project management.
- (xiii) **Data and computer networks:** Evolution of Networking, Data Communication terminologies, Transmission media, Network devices. TCP/IP & OSI/ISO reference models, functions of different layers, characteristics of physical media, multiplexing in physical layer, medium access protocols, introduction to 802.3, 802.4, 802.5, 802.11 LAN technologies, IP protocol including routing and congestion control, TCP and UDP, DNS.
- (xiv) **Network Security:** Groups, rings and fields in finite space, Euler and Fermat's theorem, primality testing, security services and mechanisms, symmetric and asymmetric encryption including DES, AES, IDEA, RSA algorithms, key management in symmetric and asymmetric encryption, message authentication and hashing, email security, viruses and trusted systems, Networking (LAN&WAN), Security, Ethical Hacking.
- (xv) **Basics of communication:** Channel capacity, attenuation, communication impairments, propagation of EM waves through free space (excluding free space models). PCM and delta modulation, WDM, brief introduction to GSM and CDMA based communication systems.
- (xvi) **Web Development:** HTML/DHTML, Web Page Authoring Using HTML, Document Object Model Concept and Importance of Document Object Model, Dynamic HTML document and Document Object Model. Introduction to Cascading Style Sheet (CSS), Extensible Markup Language (XML), Basic of PHP and Java Script.

Syllabus and Scope of Papers:- The Syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission/Board/Appointing Authority as the case may be, from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission/Board/Appointing Authority, as the case may be, deems fit.

Scheme and syllabus of competitive examination for the posts of Basic Computer Instructor:-

The examination shall carry 200 marks. There will be two papers. Paper-I shall be of 100 marks and paper-II shall be of 100 marks.

Paper -I

1. The question paper will carry maximum 100 marks.
2. Duration of question paper will be 2.00 hours.
3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
4. Paper shall include following subjects:-
 - (i) Art & Culture, History, Geography, General Science and Current Affairs of Rajasthan.
 - (ii) General Ability shall include following point :-
 - A. Logical Reasoning and Analytical Ability.
 - B. Decision Making and Problem Solving.
 - C. General Mental Ability.
 - D. Basic Numeracy - Numbers and their relations, orders of magnitude, etc. **(Class X level)**
 - E. Data Interpretation - Charts, Graphs, Tables, Data Sufficiency, etc. **(Class X level)**
5. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer **one third (1/3)** of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer out of multiple choices given for a question.

6. The Minimum qualifying marks shall be 40% Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
7. Syllabus and Scope of Papers:- The Syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission/Board/Appointing Authority as the case may be, from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission/Board/Appointing Authority, as the case may be, deems fit.

Paper -II

1. The question paper will carry maximum 100 marks.
2. Duration of question paper will be 2.00 hours.
3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer **one third (1/3)** of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer out of multiple choices given for a question.

5. The Minimum qualifying marks shall be 40% Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
6. Paper shall include following subjects:-
 - (i) Pedagogy
 - (ii) **Mental Ability:** Decision making and Problem solving, Data Interpretation, Data Sufficiency, Logical Reasoning and Analytical Ability, Major developments in the field of Information Technology.
 - (iii) **Fundamentals of Computer:** Overview of the Computer System including input-output devices, pointing devices, and scanner. Representation of Data (Digital versus Analog, Number System - Decimal, Binary & Hexadecimal), Introduction to Data Processing, Concepts of files and its types.
 - (iv) **Data Processing:** Word Processing (MS-Word), Spread Sheet Software (MS Excel), Presentation Software (MS Power Point), DBMS Software (MS-Access).
 - (v) **Programming Fundamentals:** Introduction to C, C++, Java, DotNet, Artificial Intelligence (AI), Machine learning, Python and Block Chain, Principles and Programming Techniques, Introduction of Object Oriented Programming (OOPs) concepts, Introduction to "Integrated Development Environment" and its advantages.

- (vi) **Data structures and Algorithms:** Algorithms for Problem Solving, Abstract data types, Arrays as data structures, linked list v/s array for storage, stack and stack operations, queues, binary trees, binary search trees, graphs and their representations, sorting and searching, symbol table. Data structure using c & c++.
- (vii) **Computer Organization and Operation System:** Basic Structure of Computers, Computer Arithmetic Operations, Central Processing Unit and Instructions, Memory Organization, I/O Organization, Operating Systems Overview, Process Management, Finding and processing files.
- (viii) **Communication and Network Concepts:** Introduction to Computer Networks, Introduction: Networks layers/Models, Networking Devices, Fundamentals of Mobile Communication.
- (ix) **Network Security:** Protecting Computer Systems from viruses & malicious attacks, Introduction to Firewalls and its utility, Backup & Restoring data, Networking (LAN & WAN), Security, **Ethical Hacking.**
- (x) **Database Management System:** An Overview of the Database Management, Architecture of Database System, Relational Database Management System (RDBMS), Database Design, Manipulating Data, NoSQL Database Technologies, Selecting Right Database.
- (xi) **System Analysis and Design:** Introduction, Requirement Gathering and Feasibility Analysis, Structured Analysis, Structured Design, Object-Oriented Modelling Using UML, Testing, System Implementation and Maintenance, Other Software Development Approaches.
- (xii) **Internet of things and its application :** Introduction of Internet Technology and Protocol, LAN, MAN, WAN, Search Services/Engines, Introduction to online & offline messaging, World Wide Web Browsers, Web publishing, Basic knowledge HTML, XML and Scripts, Creation & maintenance of Websites, HTML interactivity Tools, Multimedia and Graphics, Voice Mail and Video Conferencing, Introduction to e-Commerce.

Syllabus and Scope of Papers:- The Syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission/Board/Appointing Authority as the case may be, from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission/Board/Appointing Authority, as the case may be, deems fit.

बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाये जाने हेतु ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में पाँचवा विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश लागू किये गये हैं :-

1. प्रत्येक प्रश्न के 05 विकल्प A, B, C, D, E. अंकित रहेंगे। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तरपुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा।

Each question has five options marked as A, B, C, D, E. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.

2. प्रत्येक प्रश्न के लिये विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा।

It is mandatory to fill only one of the options for each question.

3. यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिये पाँचवा विकल्प E को गोला गहरा करना होगा। यदि पाँचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10 प्रतिशत प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाये जावेंगे।

If you are not attempting a question then you have to darken the circle 'E'. If none of the five circles is darkend, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.

4. प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जावेगा, ताकि वह प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न का 'E' गोला गहरा भर सकें।

After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the question. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for darkening the circle of option "E" for all unanswered questions.

5. जिस अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों को किन्हीं पाँच गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जावेगा।

A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% question shall be disqualified.

- 23. बोर्ड की वेबसाइट:-** अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट <http://rssb.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

सचिव

क्रमांक: प.14(169)RSSB/अर्थना/स्कूल शिक्षा/कम्प्यूटर अनुदेशक/भर्ती/2025/

दिनांक :यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर को बोर्ड का विज्ञापन संख्या 07/2026 क्रमांक: प. 14(169)RSSB/अर्थना/स्कूल शिक्षा/कम्प्यूटर अनुदेशक/भर्ती/2025 दिनांक :यथाहस्ताक्षर दिनांक..... की प्रतियां प्रेषित करते हुए राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर के आगामी अंक में विस्तृत विज्ञापन केवल एक बार प्रकाशित कराने हेतु प्रकाशनार्थ हेतु भेजा जा रहा है। उक्त समाचार पत्र के विज्ञापन प्रबन्धक से भी अनुरोध है कि बोर्ड का विज्ञापन नवीनतम संस्करण में हर हालात में प्रकाशित करें। साथ ही यह भी अनुरोध किया जाता है कि प्रकाशित विज्ञापन कटिंग की एक प्रति (निःशुल्क) निम्नलिखित पते पर सीधे ही भेजें ताकि प्रकाशित विषय सामग्री की सत्यता की जांच की जा सके। **अर्थना अनुभाग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018**
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को उनके राजकाज रेफरेन्स नं. 21052160 दिनांक 13.03.2026 एवं राजकाज रेफरेन्स नं 22050818 दिनांक 06.05.2026 के क्रम में सूचनार्थ।
3. आयुक्त, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को उनके राजकाज रेफरेन्स नं. 12556973 दिनांक 20.12.2024 के क्रम में सूचनार्थ।
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राज कॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड (आर.आई.एस.एल) प्रथम तल सी ब्लॉक, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर-302005 से अनुरोध है कि विस्तृत विज्ञापन को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. अनुभाग, RSSB, जयपुर को विज्ञापन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
6. अर्थना संवीक्षा/मूल्यांकन समिति, RSSB, जयपुर।

सचिव